न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 260 / 2024

अनवान : –

1. जलाल खां पुत्र सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

–**वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 1 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 16 / 166 के प.न. 358 / 365 मु.न. 50 के किला नं. 16, 23 ता 25 की 1.0120 हैक्टर भूमि, प. न. 358 / 366 मु.न. 55 के किला नं. 4 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 359 / 365 मु. न. 49 के किला नं. 18 ता 23 की 1.5180 हैक्टर भूमि कुल 2.7830 हैक्टर भूमि है जिसमें वादी का 2107 / 139150 हिस्सा भूमि दर्ज एवं रोही मौजा चक 5–ए बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के प.न. 355 / 391 मु.न. 134 के किला नं. 6 ता 9 व 12 ता 19 कुल 12 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1 / 6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है

वादी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेज शिक्षा विभाग व बैंक, आधार कार्ड व राशन कार्ड, आदि में जलाल खां पुत्र सदीक दर्ज है किन्तु जमाबन्दी में जलालदीन दर्ज है इस वजह से वादी के भौतिक अधिकार का हनन हो रहा है वादी को किसी प्रकार की राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो रहा है इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करापाने के अधिकारी है कि वादी का नाम जलाल खां पुत्र सदीक है इसलिए बाद घोषणा 1 जे.एस.एन. व 5–ए बारानी की जमाबन्दीयों में दर्ज जलालदीन की जगह जलाल खां पुत्र सदीक दर्ज किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी [illegible] वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम [illegible] गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम जलाल [illegible] समस्त दस्तावेजों [illegible] पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम [illegible]दीन के स्थान पर जलाल खं दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 16/166 के प.न. 358/365 मु.न. 50 के किला नं. 16, 23 ता 25 की 1.0120 हैक्टर भूमि, प. न. 358/366 मु.न. 55 के किला नं. 4 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 359/365 मु. न. 49 के किला नं. 18 ता 23 की 1.5180 हैक्टर भूमि कुल 2.7830 हैक्टर भूमि है जिसमें वादी का 2107/139150 हिस्सा भूमि दर्ज एवं रोही मौजा चक 5–ए बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के प.न. 355/391 मु.न. 134 के किला नं. 6 ता 9 व 12 ता 19 कुल 12 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में में वादी अपना नाम जलालदीन के स्थान पर जलाल खं दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम जलाल खां अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 16/166 की कुल 2.7830 हैक्टर भूमि व रोही मौजा चक 5–ए बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता स0 16/267 की कुल 3.0360 हैक्टर भूमि में **वादी का नाम जलालदीन के स्थान पर जलालदीन उर्फ जलाल खां के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......21/11/25...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 260 / 2024

अनवान : –

1. जलाल खां पुत्र सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 260 सन 2024 निर्णय दिनांक 21/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेंतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के खाता सं. 16 / 166 की कुल 2.7830 हैक्टर भूमि व रोही मौजा चक 5–ए बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता स0 16 / 267 की कुल 3.0360 हैक्टर भूमि में **वादी का नाम जलालदीन के स्थान पर जलालदीन उर्फ जलाल खां के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.....21/11/25.......को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested